



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर, भा0 व0 से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: मेसर्स लक्षिता कंस्ट्रक्शन, प्रस्तावक: योगेन्द्र कुमार, पार्टनर, पता: माली, पररिया, जिला-
औरंगाबाद (गया ब्लॉक: 34 (गया मोरहर- 21) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम-
सैफगंज, अंचल- बांके बाजार, जिला- गया) में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य
हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में
मेसर्स लक्षिता कंस्ट्रक्शन, प्रस्तावक: योगेन्द्र कुमार, पार्टनर, पता: माली, पररिया, जिला- औरंगाबाद (गया
ब्लॉक: 34 (गया मोरहर- 21) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम- सैफगंज, अंचल- बांके बाजार, जिला-
गया) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 17.11.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का
वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मेसर्स लक्षिता कंस्ट्रक्शन, प्रस्तावक: योगेन्द्र कुमार, पार्टनर, पता: नाली, सखिया, जिला- औरंगाबाद (गया ब्लॉक: 34 (गया मोरहर- 21) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम- सैफाबाद, अंचल- बांके बाजार, जिला- गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

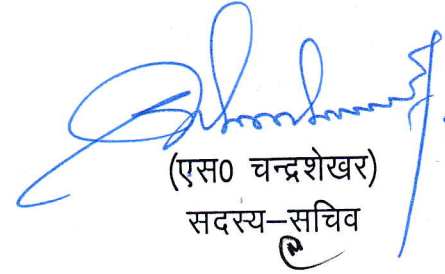
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 2878

पटना, दिनांक :- 21/12-23.

प्रतिलिपि:-श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना को निदेश है कि दिनांक: 17.11.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 17.11.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

 21/12/23
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स लक्षिता कंस्ट्रक्शन, प्रस्तावक: योगेन्द्र कुमार, पार्टनर, पता: माली, पररिया, जिला-औरंगाबाद (गया ब्लॉक: 34 (गया मोरहर-21) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम-सैफगंज, अंचल-बांके बाजार, जिला-गया) का गया जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 17.11.2023 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, बांके बाजार, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2352/2023, dated 18.04.2023 के आलोक में श्री रवि राकेश, अपर समाहर्ता (वि०ज०), गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 17.11.2023 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, बांके बाजार, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 07.10.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया ब्लॉक: 34 (गया मोरहर-21) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम-सैफगंज, अंचल-बांके बाजार, जिला-गया के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मांगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष की अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राहुल कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित

होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य ऊपरी सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री शिवशंकर सिंह, पता: सैफगंज, बांके बाजार, जिला: गया।	इनके द्वारा बताया गया कि हमलोगों के द्वारा बालू संधर्ष सचिव मोर्चा द्वारा एक समय इस बालू घाट का संचालन रोकने के लिए विरोध किया गया था। साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में हुये उत्खनन के दौरान बालू का उठाव काफी ज्यादा कर लिया गया है, जिसकारण कहीं कहीं पर बहुत सारे गढ़वे हो गये हैं, जिससे ग्रामीणों के बच्चे एवं मवेशियों के डुबने का डर बना रहता है। ग्रामीणों के सिचाई करने हेतु मात्र एक नदी ही साधन है जो नहर से जुड़ा हुआ है; कि शिकायत करते हुये घाट न चालू करने की माँग की गयी।
2.	बिगन पासवान, पता: इमामगंज, चुआँवा, जिला: गया।	इनके द्वारा बताया गया कि यह सरकार अधीन है। यह नदी देखती है कि नहीं की क्या स्थिति है। आज तक इस क्षेत्र में पटवन की व्यवस्था नहीं कराई है। नदी किनारे का सभी पेड़ सुख गया है। पूरे विधान सभा के लिए घाटों की बंदोबस्ती रोक दी जाय; की शिकायत करते हुये घाट न चालू करने की माँग की गयी।
3.	श्री रविरंजन कुमार, पता: बांके बाजार, जिला: गया।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू उठाव से नदी गहरा हो गया है। पैड़न में पानी नहीं जायेगा। नदी के बालू उठाव से तालाब सुख गया है। चापाकल सुख गया है।
4.	असरफ अली खान, पता: खैरा, बांके बाजार, जिला: गया।	बालू का उठाव नहीं होना चाहिए कि शिकायत करते हुये घाट न चालू करने की माँग की गयी।
5.	लोक सुनवाई में उपस्थित समस्त स्थानीय निवासीयों द्वारा एक स्वर में कहा गया कि इस बालू घाट में बालू नहीं है। इस घाट पर पूर्व में बहुत ज्यादा बालू का उठाव हो गया है, जिससे कहीं कहीं नदी में गढ़वे हो गये हैं, जिससे ग्रामीणों के बच्चे एवं मवेशियों के डुबने का डर बना रहता है। नदी का पैन लेवल भी बराबर नहीं रहा है, जिसकारण ग्रामीणों को	

जन-सुनवाई के दौरान परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर मंतव्य की मांग की गई, इनके द्वारा घाट चालू करने की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव एवं अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) द्वारा दिये गये जानकारी को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से इस बालूघाट के खनन परियोजना को प्रारंभ करने के संबंध में अग्रेतर कारवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया।



क्षेत्रीय पदाधिकारी

बि.रा.प्र.नि.पर्वद,

गया

9/11/23
अपर समाहर्ता (वि.जा.)

गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स लक्षिता कंस्ट्रक्शन, प्रस्तावक: योगेन्द्र कुमार, पार्टनर, पता: माली, पररिया, जिला- औरंगाबाद (गया ब्लॉक: 34 (गया मोरहर-21) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम- सैफगंज, अंचल- बांके बाजार, जिला- गया) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 17.11.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, बांके बाजार, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	रवि शर्मा	कपल लालाहरी (बिजौली) ग.प.	9/11/23
2.	मनोज कुमार सिंह	श्रीमती पद्मावती, पति श्री नि. पद्मा, जिला/	म. 14.11.23
3.	संजय कुमार	श्रीमती अरुणिका, लाला लाला, बांके	17/11/2023
4.	हरेश्वर कुमार	पुलौ	17/11/2023
5.	रामेश्वर	पुलौ, बांके	17/11/2023
6.	योगेश्वर कुमार	Aurangabad	17/11/23
7.	श्रीमती - श्रीमती -	बालू - माला - फोन 7634093617	श्रीमती - श्रीमती -
8.	विष्णु देव सिंह	गंगा + बांके - औरंगाबाद, जिला/	विष्णु देव सिंह
9.	दो. लाला प्रसाद		दो. लाला प्रसाद

10.	अरविन्द कुमार ३३७३२। विक्रम १६९१।	जरी नावाडीह	अरविन्द कुं विक्रम
11.	हुंदाखर मुखर्जी	गति - वेदमिगल	हुंदाखर
12.	राम तन नसाद	प्राजमगाव (काठमाडौं)	रामतन मुखर्जी
13.	श्रीनारायण प्रतापति	परसावाँ	श्रीनारायण प्रतापती
14.	गान्धेदेव प्रतापति	जमुआरा कंठा	
15.	अटिथानाथ सिंह	खोन्डाहा कोटवा कोठागावा	Dechil
16.	मेखरी सिंह	मण्डार	मेखरी
17.	श्रीनाथ सिंह	खोन्डा (मा) कोटवा कोठागावा	श्रीनाथ सिंह
18.	मौगेन्द्र कुमार	चैदरिया, गाली औरंगाबाद	मौगेन्द्र कुमार
19.	पिंजरा कान्छा	सखर रिक्षा आवागमन	पिंजरा कान्छा
20.	सदाधर मिश्र	खैरत	सदाधर मिश्र

21.	अमरेंद्र कुमार	गुरु	अमरेंद्र कुमार
22.	निमालेश प्रसाद	नागार्डी ६	निमालेश प्रसाद
23.	अचयम/रायचंद	गोड्डा	अचयम/रायचंद
24.	बाबुलाल प्रसाद	उत्तरी	बाबुलाल प्रसाद
25.	चनंजय कुमार	बैद्युकिाह	चनंजय कुमार
26.	अजय प्रसाद	॥	अजय प्रसाद
27.	दामोदर प्रसाद	॥	दामोदर प्रसाद
28.	अशोक कुमार	उत्तरी	अशोक कुमार
29.	अशुदेव सिंह	बैद्युकिाह	अशुदेव सिंह
30.	Abub Ali Ex Zidar/Prashant Bau/2017	Bau/2017	अशुदेव सिंह
31.	अमरेंद्र कुमार	बैद्युकिाह	अशुदेव सिंह

32.	कैदा (पुसाउ) 7320943060	देवमसी गंगो पकाल-गुणमन्त्रा मुद्रका रजालगम	कैदा (पुसाउ)
33.	सिमता कुमारी	सिमता कुमारी	
34.	सिमता कुमारी	सिमता कुमारी	सिमता कुमारी
35.	पुतपा कुमारी	विष्णुगोविन्द पुतपाडे	पुतपा कुमारी
36.	विनिता कुमारी	विनिता कुमारी	विनिता कुमारी
37.	अंचला कुमारी	अमावगंज (अरहा)	अंचला कुमारी
38.	नाग अरहा	नाग अरहा	नाग अरहा
39.	विष्णु कुमारी	विष्णु कुमारी	विष्णु कुमारी
40.			
41.			
42.			

बालू - पानी पर्यावरण बचाओ संघर्ष मोर्चा

इमरिया, इमामगंज, बाँकेबाजार (गया) एवं

(स्थापित : 30 जून 2018 ई०)

किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा

कुआँ, पड़न, नदी सुखी है, क्षेत्र की जलवायु बिगड़ी है ।
समरसिबल भी सुख गया तो, जान बचाना मुश्किल है ॥

सेवा में,

माननीय सदस्य सचिव महोदय,

बिहार राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण पथद

बिहार सरकार, पटना ।

✓ द्वारा - लोक सुनवाई प्रभारी पर्यावरण (सैफगंज (21) बाँकेबाजार)
विषय :- बालू घाटों की निलामी से उत्पन्न पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के सम्बंध में लोक सुनवाई से सम्बंधित
ज्ञापन ।

प्रसंग :- दैनिक हिन्दुस्तान दिनांक 07/10/2023 में प्रकाशित प्रस्तावित मोरहर नदी बालू घाट नं०-22

जूरी-जोंधी कुम्भी एवं घाट नं०-21 सैफगंज की निलामी से सम्बन्धित लोक सुनवाई की

सूचना ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन सूचना के सम्बंध में कहना है कि :-

(1) गया जिला के बाँकेबाजार अंचल के मोरहर नदी घाट नं०-22 जूरी, जोंधी, कुम्भी एवं घाट नं०-21 सैफगंज, सहित सम्पूर्ण इमामगंज विधान सभा क्षेत्र की नदियाँ पहाड़ी एवं बरसाती है । तीव्र जल प्रवाह के कारण बालू के निक्षेपण की मात्रा स्थानीय उपयोग से ज्यादा नहीं है । इसकी निलामी एवं खनन से क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया है, फलतः इलाका, भूगर्भ जल संकट, भीषण गर्मी, अनावृष्टि सुखाड़ आदि प्राकृतिक प्रकोप झेलने पर विवश है ।

(2) पिछले आठ वर्षों से अनियंत्रित और अविधिमित बालू के खनन से मोरहर नदी की तली की गहराई पहले से सात फीट अधिक गहरी हो गई है ; फलतः यहाँ की सिंचाई के प्रमुख साधन - सैफगंज, आजमगढ़, ईटगंज, जूरी, जोंधी इत्यादि पड़नों के अलावे क्षेत्र के पच्चास पड़न निरभार हो गये हैं । यहाँ की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि के बंजर होने का खतरा व्याप्त है ।

(3) बालू की निलामी और तस्करी के कारण क्षेत्र में भूतल जल स्तर में गिरावट से कुआँ, नदी, पयिंगसेट, चापाकल, झील, झरना इत्यादि जल स्रोत सुख चुके हैं । जल संकट की सम्भावना से लोग भयभीत हैं और उनके समक्ष पलायन का संकट बढ़ गया है । उल्लेखनीय है कि अतिसंवेदनशील पशु-पक्षी, सियार, गिड़ड़, गरवैया, बगेरी, कौआ, जांघिल आदि का इलाका से पलायन, क्षेत्र में सम्भावित पर्यावरणीय संकट का संकेत है ।

(4) प्रकृति प्रदत्त गुणों के कारण नदी की बालू, पर्याप्त वर्षा जल को अवशोषित कर भूतल जल स्तर को कायम रखती है आंतरिक जल प्रवाह को स्वच्छ बनाती है तथा वनस्पति के हरियाली और बादल वर्षा इससे नियंत्रित होती है, प्रकृति के इस चक्र, पर्यावरण एवं क्षेत्र की जलवायु को बालू की निलामी ने प्रभावित किया है । फलतः बरसात की चारो माह वर्षाविहिन बित गई, नदियाँ, पड़न नहर, इत्यादि सुखी रह गयी, धान की खेती बाधित रही, क्षेत्र में अकाल की काली छाया मंडरा रही है ।

(5) बिहार सरकार की टेलिमट्री रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 के पहले दार्द भूतलों में बाँकेबाजार प्रखण्ड

सहित इलाके की ग्राउण्ड वाटर लेवल 15 फुट के दर से नीचे गिरा है, जो चिंता की बात है।

(प्रभात खबर पेपर कटिंग दिनांक 02/01/2020 संलग्न)

(6) पूर्व के बालू संवेदक जनहित को रौंदते हुए बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 में निहित नियम 17 के विरुद्ध भिंगी बालू का उठाव, नियम 23 के विरुद्ध बड़े मशीनों का प्रयोग, नियम 24 के विरुद्ध पुल, पईन, नहर, चेक डैम, श्मशान घाट, मन्दिर इत्यादि के पास खनन, नियम 25 के विरुद्ध, खनन पट्टा की अवहेलना, नियम 25 के विरुद्ध क्षमता से अधिक बालू खनन एवं परिवहन आदि नियमों की अवहेलना करते रहे हैं। जिससे पर्यावरण को भारी क्षति हुई है और स्थानीय लोग तबाह हो रहे हैं। (नियमावली अवतरण संलग्न)

(7) बालू उत्खनन से बने गहरे गडों में भरे, पानी और रेत में दर्जनों नौनिहाल डुबकर शहید हो चुके हैं। बालू निलामी की आंड़ में पुलिस की हण्टर, दिन में जरूरतमन्द जनता पर चलती है, परन्तु रात के अंधेरे में बालू की तस्करी की खुली छुट से, क्षेत्र की पर्यावरणीय प्रदुषण की वृद्धि बेलगाम हो चुकी है। ध्वनि प्रदुषण से स्थानीय नागरिकों की निंद हराम है।

(8) पर्यावरण की रक्षा एवं बालू के बचाव हेतु क्षेत्र की जनता पिछले छः वर्षों से लगातार आन्दोलित है। क्षेत्र की जनता आम सभा, रैली, गोष्ठी, जन प्रदर्शन, महिला सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह के माध्यम से ज्ञापन समर्पित कर सरकार एवं प्रशासन को सूचित करती रही है, फिर भी बार-बार पर्यावरणीय लोक सुनवाई आश्चर्य की बात है। (ज्ञापन की छाया प्रतियाँ संलग्न)

(9) पर्यावरणीय कुप्रभाव के कारण उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए सतत प्रबाही सोन, कोयल, मोरहर, लिंक नहर का निर्माण मात्र विकल्प है। क्या सरकार और संवेदक इस पर पहल करेंगे?

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं संलग्न साक्ष्यों के आलोक में पर्यावरण एवं जन संस्कृति की रक्षा हेतु प्रसंगाधीन बालू घाटों की निलामी के प्रस्ताव को रद्द करने की कृपा की जाय।

बालू निलामी और तस्करी बन्द करो ! बन्द करो ! बन्द करो !

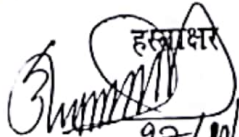
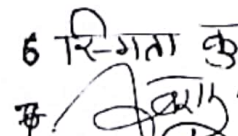
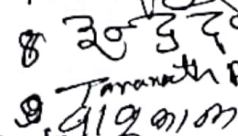
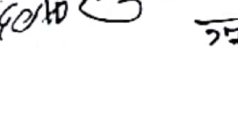
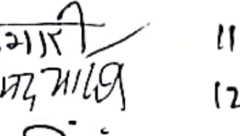
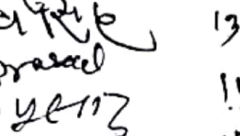
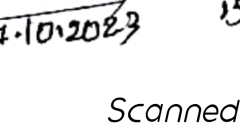
भवदीय

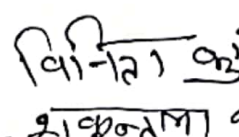
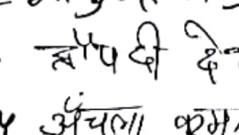
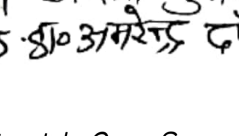
प्रतिनिधि मण्डल

बालू-पानी पर्यावरण बचाओ संघर्ष मोर्चा
डुमरिया, इमामगंज, बाँकेबाजार (गया)
दिनांक 17-11-2023

अनुलग्नक :- (छाया)

- (1) सुनवाई की सूचना की पेपर कतरन - 1 पन्ना
- (2) टेलिमेट्री पेपर कटिंग - 1 पन्ना
- (3) खनन नियमावली अवतरण - 2 पन्ना
- (4) आंदोलन ज्ञापन - 5 पन्ना
- (5) महिला सत्याग्रह समझौता ज्ञापन - 4 पन्ना
- (6) किसान समझौता सत्याग्रह - 3 पन्ना
- (7) बच्चों की मौत पेपर कटिंग - 1 पन्ना

1.  ह. स. सिंह
2.  श. स. सिंह
3.  श. स. सिंह
4.  श. स. सिंह
5.  श. स. सिंह
6.  श. स. सिंह
7.  श. स. सिंह
8.  श. स. सिंह
9.  श. स. सिंह
10. श. स. सिंह

11.  श. स. सिंह
12.  श. स. सिंह
13.  श. स. सिंह
14.  श. स. सिंह
15. श. स. सिंह

18. विप्लववादी विद्रोही गणतन्त्र

19. राजेश सिंह

20. चन्द्रशेखर प्रसाद

21. मन्मथ प्रसाद

22. रामचन्द्र प्रसाद

23. प्रकाश प्रसाद

24. स्मिता कुमारी

25. अर्जुन प्रसाद

26. रामचन्द्र प्रसाद

27. अंचला कुमारी

